

230058/2020/डीबीए-II/एनईआर

सं. 6(2)/2012-एनईआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विभागीय औद्योगिक नीति और संवर्धन
उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 011

दिनांक: 28, सितम्बर, 2012

सेवा में,
सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग),
उद्योग विभाग,
उपक्षे की राज्य सरकारें
(असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम)।

विषय: केन्द्रिय ब्याज राजसहायता योजना में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस विभाग ने पात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा पूंजीगत ब्याज राजसहायता के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान समय में प्रयोग में लाए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र के प्रारूप की समीक्षा कर संशोधित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आगे से जो भी इकाइयां इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं उन्हें नए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर राष्ट्रीय कृत बैंक/ केंद्रीय या राज्य वित्तीय संस्थानों की अनुशंसा के साथ आवेदन करना होगा। लंबित दावों के भुगतान के संबंध में, यदि किसी औद्योगिक इकाई ने पूर्व में अपना दावा सभी दस्तावेजों के साथ पुराने प्रारूप में आवेदन किया है तो उस उद्योग इकाई को नए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ राष्ट्रीय कृत बैंकों/ केंद्रीय और राज्य वित्तीय संस्थानों की अनुशंसा के साथ पुनः आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

भवदीय,
(अरुण कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव,
टेलीफोन: 011-23063096

संलग्न: अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों / केंद्रीय या राज्य वित्तीय संस्थानों की संशोधित प्रमाणपत्र सह
अनुसंशा पत्र

230058/2020/डीबीए-II/एनईआर

प्रति:-

- 1.निदेशक (उद्योग), उत्तर पूर्वी राज्यों के उद्योग निदेशालय (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम)
- 2.मुख्य प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, गुवाहाटी, असम।

(फार्म संख्या आईडी(बी)/एएल)

अनुसूचित बैंकों / केंद्रीय या राज्य वित्तीय संस्थानों का प्रमाणपत्र सह अनुसंशा पत्र ।
(केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना 2007 के तहत ब्याज अनुदान का दावा करने के लिए बैंकों
/ वित्तीय संस्थानों के लेटरहेड पर दिया जाने वाला प्रमाणपत्र)

“जिस किसी से भी संबंधित हो”

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स _____
(औद्योगिक इकाई का नाम और पता) (बाद में औद्योगिक इकाई के रूप में संदर्भित) को राशि रुपये
_____ (राशि आंकड़ों में) _____ (राशि
शब्दों में) रूप ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) (इसके बाद ऋण सीमा के रूप में संदर्भित) हमारे बैंक द्वारा
अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए अर्थात् _____ (बैंक का
नाम और पता) से बैंक की मंजूरी दिनांक _____ से _____ तक की
अवधि के लिए अनुमोदन संख्या _____ दिनांक _____ प्रदान
की गई है।
औद्योगिक इकाई द्वारा किसी विशेष दिन पर दिनांक _____ से _____ तक
की अवधि में एक दिन में ऋण सीमा के विरुद्ध अधिकतम वास्तविक आहरण सीमा
रु. _____ (राशि अंकों में) _____ (राशि
शब्दों में) है और ऊपर वर्णित अवधि में औसत दैनिक आहरण रु. _____ है। उक्त
अवधि में बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी उपभोग ऋण पर वसूली गई ब्याज रु. _____
(राशि अंकों में) _____ (राशि शब्दों में) है जिसकी ब्याज दर _____ प्रति
वर्ष है।

हमारे रिकॉर्ड और औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध करवाए गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भलीभाँति जांच
करने के बाद, यह प्रमाणित किया जाता है कि अप्रयुक्त ओवरड्राफ्ट, सावधि जमा, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण
के लिए अग्रिम, ऋण और अग्रिमों के मालिकाना हक / भागीदार निदेशकों / एचयूएफ के सदस्यों, ब्याज सहित
लंबे समय के ऋण और निवेश, को कार्यशील पूंजी के उपयोग का हिस्सा नहीं बनाया है और ऋण सीमा के
खिलाफ सभी आहरण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वे स्वीकृत थे और
औद्योगिक इकाई द्वारा "निधियों का विभाजन" और / या "निधियों का दुरुपयोग" नहीं किया गया है।


इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि औद्योगिक इकाई 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान रु.
_____ (आंकड़ों में राशि) [रुपए _____] (शब्दों में
राशि) केंद्रीय ब्याज योजना, 2007 के तहत
_____ से _____ तक की अवधि के लिए के लिए पात्र है।

तारीख _____

बैंक प्रबंधक के हस्ताक्षर

नाम()
कार्यालय मुहर

एनईआईआईपीपी, 2007 की केन्द्रिय ब्याज राजसहायता योजना और केन्द्रीय समग्र बीमा योजना के तहत दावों को हैण्डल करने के लिए प्रवाह संचित्र



नोट: 1. इटैलिक ब्रैकेट के आंकड़े दिनों की संख्या में अपेक्षित समय सीमा हैं।

2. औद्योगिक इकाइयों द्वारा राजसहायता की प्राप्ति तक दावों को प्रस्तुत करने की तारीख से अपेक्षित समय - 120 दिन।

डीआईसी - जिला उद्योग केंद्र।

डीआई - उद्योग निदेशालय।

एसएलसी - राज्य स्तरीय समिति।

डीआईपीपी - औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग,